कार्यालय सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक/ 394 /जि.का/नग्रानि/11 विदिशा, दिनांक 14/3/11

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
तहसील बरेली
जिला रायसेन म.प्र.

विषयः ग्राम बरेली की खसरा क्रमांक 255/2/2, 420/1, कुल रकबा 2.536 हे. भूमि पर अभिन्यास अनुमोदन बाबत् ।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 297/2011 गोहरगंज दिनांक 18.01.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में आवेदक श्री अमित कुमार वर्मा पुत्र श्री महेश कुमार वर्मा, श्रीमती यशोदा बाई पुत्री नर्बदा प्रसाद निवासी बरेली में स्थित भूमि ग्राम बरेली के खसरा क्रमांक 255/2/2, 420/1, कुल रकबा 2.536 हे. भूमि पर आवासीय योजना के निर्माण संबंधी विकास कार्यो को कार्यान्वित किये जाने हेतु अभिमत चाहा गया है। अतः निम्न शर्तो पर आवासीय विकास हेतु अभिमत दिया जाता है ।

1. निम्नलिखित अधिनियम /नियम /सक्षम अधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति / अनुज्ञा लेना अनिवार्य हैं ।
   1. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172
   2. म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1956.
   3. म.प्र. गृह निर्माण मंडल रायसेन
   4. म.प्र. भू-अर्जन अधिकारी रायसेन जिला रायसेन
   5. नजूल अधिकारी, रायसेन जिला रायसेन
   6. राष्ट्रीय राजमार्ग/ राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/ राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)
   7. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल रायसेन
   8. जल संसाधन विभाग (बांध नहर व नदियों एवं नाले से लगी भूमि के विकास हेतु)
   9. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो तो इसे अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना होगा ।

2. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बनाये गये म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 10 एवं 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर पंचायत बरेली को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावें ।

4. प्रश्नाधीन भूमि का आवासीय भू उपयोग हेतु भू-व्यपर्तन कराना होगा ।